कार्यालयः– जिला एवं सेशन न्यायाधीश जैसलमेर (राज.)

क्रमांक : २१ दिनांक : 08.1.18

:: कार्यालय आदेश ::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा विज्ञापन संख्या RHCJ/Exam.Cell/S.C./LDC/2017/83 दिनांक 18.02.2017 एवं पत्र क्रमांक G/I/A-4(i)(a)157/17/9433 दिनांक 18.12.2017 एवं राजस्थान जिला न्यायालय मंत्रालयिक कर्मचारी संस्थापन नियम 1986 (यथासंशोधित नियम) एवं इस संबंध में राज्य सरकार तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्रों के अधीन दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर प्रथमतः 6 माह के लिए राजस्थान सिविल सेवाएं (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 में लिपिक ग्रेड–II के पद पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को अस्थाई तौर पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से छः माह/दो वर्ष की अवधि के लिए राज्य सरकार के परिपत्र संख्या एफ.15(1)एफ.डी. (नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार 14600/– रू. मासिक नियत (फिक्स) पारिश्रमिक पर नियुक्ति जैसलमेर न्यायक्षेत्र में निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती हैः–

क. सं.	रोल नंबर	जन्म तिथि	चयनित अभ्यर्थी का नाम	लिंग	केटेगरी
1.	641836	17.09.1996	नरपतसिंह भाटी पुत्र श्री भीखसिंह भाटी, निवासी– बस्सी पाड़ा, मोहनगढ, जिला जैसलमेर।	पुरूष	सामान्य
2.	614613	12.04.1987	पंकज भाटिया पुत्र श्री राधेश्याम भाटिया, मकान नंबर–661, वृंदावन, कन्हैयालाल अचलवंशी कॉलोनी, डेडानसर रोड़, जैसलमेर।	पुरूष	सामान्य
3.	613983	25.02.1997	भगवतसिंह भाटी पुत्र श्री महावीरसिंह भाटी, निवासी–स्टाफ क्वार्टर नंबर 46, उम्मेद भवन पैलेस, जोधपुर।	पुरूष	सामान्य
4.	664383	05.07.1997	सुनील पुत्र श्री सहीराम, निवासी–गोदारों की ढाणी, पालीना, जोधपुर।	पुरूष	सामान्य
5.	622454	15.06.1996	विशाल आचार्य पुत्र श्री शिवकुमार आचार्य, निवासी–ढिब्बा पाड़ा, सिटी पुलिस चौकी के पास, जैसलमेर।	पुरूष	सामान्य
6.	623522	28.06.1996	हीराराम पुत्र श्री लीलाराम, निवासी–गांव लाणेला, जिला जैसलमेर।	पुरूष	सामान्य

Recruitment 2017

मिलान/सत्यापन हेतु नियत तिथि तक उपस्थित ...

7.	559945	03.12.1991	पीयूष व्यास पुत्र श्री मुरली मनोहर व्यास, निवासी–उस्तावारी के बाहर, रमन भवन के पास, बीकानेर।	पुरूष	सामान्य
8.	308110	13.07.1994	धमेन्द्रसिंह पुत्र श्री ओमप्रकाश सिंह, निवासी– गांव लाछरी, तहसील–लाडनू, जिला–नागौर।	पुरूष	सामान्य
9.	524625	12.11.1994	तान्या भटनागर पुत्री श्री अनिल भटनागर, निवासी– बी–3–242, सुदर्शन नगर, बीकानेर।	महिला	सामान्य
10.	521411	04.12.1982	सुभानु संगमित्रा पुत्री श्री श्रीकांत जेना, निवासी– द्वारा–लूणाराम कृपालू पूंज; मकान नंबर–18, लालकार्टर के पास, अमरसिंह पुरा, बीकानेर।	महिला	सामान्य
11.	546838	13.01.1996	सूर्यदेवसिंह सांखला पुत्र श्री लक्ष्मणसिंह सांखला, निवासी–शंकर स्टूडियों के पास, इंदिरा कॉलोनी, बीकानेर।	पुरूष	सामान्य
12	557769	05.08.1997	अशोक सुथार पुत्र श्री बस्तीराम सुथार, निवासी– गांव खाजोरा, पोस्ट–भेलू, जिला–बीकानेर।	पुरूष	सामान्य
13.	525223	07.07.1991	अर्चना जोशी पुत्री श्री अशोक जोशी, निवासी–विश्वकर्मा मंदिर के सामने, पूंगल रोड़, बीकानेर।	महिला	सामान्य
14.	613491	29.12.1995	मूलाराम पुत्र श्री प्रेमाराम, निवासी– मोहनगढ़, जिला जैसलमेर।	पुरूष	ओबीसी
15.	617309	15.06.1995	कैलाशचद्र पुत्र श्री प्रेमाराम, निवासी–105, जाटों का बास, डाब गांव, जिला–नागौर।	पुरूष	ओबीसी
16.	649541	29.02.1992	श्रवणकुमार पुत्र श्री बाबूराम, निवासी–गांव बाहला, जिला– जैसलमेर।	पुरूष	ओबीसी
17.	627572	03.11.1992	गजेन्द्र कुमार तवंर पुत्र श्री गिरधारीलाल, निवासी–अम्बेडकर कॉलोनी, ग्रामोद्योग परिसद के पीछे, जैसलमेर।	पुरूष	एससी
18.	620685	04.04.1994	शिवदेवराम तिरड़िया पुत्र श्री श्रवणराम तिरड़िया, निवासी– भैरूजी का बास, गांव कुचेरा, जिला–नागौर।	पुरूष	एससी
19.	616234	31.03.1995	नीरजकुमार तरूण पुत्र श्री निर्मल कुमार तरूण, निवासी– गोपाल घोसला के पास, वार्ड नंबर–20, मकराना, जिला–नागौर।	पुरूष	एससी

20.	595571	14.04.1986	कल्पना भाटी पुत्री श्री विशनलाल, निवासी–पावटा रसाला रोड़, हेमसिंह की हट के पास, रामदेव मंदिर, भाटी सदन, जोधपुर।	महिला	एससी
21.	619378	31.03.1995	दिनेश कुमार बाघेला पुत्र श्री करमूराम, निवासी–एच.91, रिकॉ कॉलोनी, जैसलमेर।	पुरूष	एसटी

नोट :– कमांक 12 पर अंकित श्री अशोक सुथार द्वारा अभी तक मूल दस्तावेज से मिलान नहीं करवाया गया है। अतः श्री अशोक सुथार कार्यग्रहण करने के समय विज्ञप्ति में वांछित दस्तावेज की स्व–प्रमाणित प्रतियां पेश करें तथा मूल दस्तावेज से मिलान कराने के पश्चात् कार्यग्रहण की अनुमति दी जायेगी।

<u>शर्तें</u>–

1. प्रथम 06 माह की अवधि में कार्य व्यवहार संतोषजनक नहीं होने या अन्यथा सेवाओं की आवश्यकता नहीं होने पर किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के नवनियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।
2. प्रथम 06 माह में कार्य संतोषजनक पाये जाने पर परीवीक्षाकाल एक साथ या समुचित अन्तराल पर दो वर्ष तक बढ़ाया जावेगा। पूरे परिवीक्षाकाल में कार्य व्यवहार संतोषप्रद होने पर उपरोक्त वेतनमान में न्यूनतम देय वेतन नियत किया जावेगा।
3. अभ्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत सभी प्रमाण–पत्रों का संबंधित संस्थाओं से सत्यापन के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जाती है। सत्यापन में कोई भी दस्तावेज या सूचना मिथ्या पायी गयी तो बिना पूर्व सूचना के सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।
4. पुलिस सत्यापन हेतु प्रस्तुत की गयी सूचनाएं या सत्यापन सही नहीं पाये जाने पर या उसके पूर्व आचरण व व्यवहार प्रतिकूल पाये जाने पर बिना नोटिस दिये सेवाएं समाप्त की जा सकेगी। अभ्यर्थी इस आशय का भी शपथ–पत्र पेश करे कि उसके विरुद्ध किसी थाने अथवा न्यायालय में आपराधिक प्रकरण दर्ज है अथवा नहीं। अगर है तो विवरण दें।
5. अभ्यर्थी द्वारा राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेशों के अधीन मेडिकल पॉलिसी लेने एवं चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण के संबंध में राज्य सरकार/ माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्र लागू होंगे।
6. राज्य सरकार/माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्रों के अधीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
7. इस आदेश की प्राप्ति के सात दिवस के भीतर कार्यदिवस में जिला एवं सेशन न्यायालय, जैसलमेर में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा यह माना जावेगा कि संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति का इच्छुक नहीं है एवं उस सूरत में उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
8. नवनियुक्त अभ्यर्थीगण पर राज्य सरकार, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्र, सेवा नियम एवं आचरण नियम लागू होंगे।
9. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करने से पूर्व राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 10 के तहत सेवा में योग्य होने का सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
10. बायोमेट्रिक डाटा का सत्यापन सही नहीं पाये जाने पर बिना नोटिस दिये सेवाएं तुरन्त समाप्त की जा सकेगी।
11. परीवीक्षाकाल की अवधि में राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि की कटौती नहीं की जायेगी परन्तु समूह दुर्घटना बीमा एवं नवीन पेंशन योजना इत्यादि की नियमानुसार कटौती की जा सकेगी।
12. इन अभ्यर्थियों को परिवीक्षा काल में प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में नियमानुसार आकस्मिक अवकाश देय होंगे। इसके अलावा इन्हें परिवीक्षाकाल में किसी भी प्रकृति का अन्य अवकाश देय नहीं होगा।

—Sd—
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जैसलमेर (राज.)

क्रमांक : स्था./2017/ 346   दिनांक : 08.1.18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं–

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर को उनके पत्रांक G/I/A-4(i)(a)157/17/9433 दिनांक 18.12.2017 की पालना में
2. लेखा शाखा, कार्यालय हाजा (दो प्रति में)
3. संबंधित कर्मचारी श्री ....
4. व्यक्तिगत पत्रावली श्री ....
5. सिस्टम ऑफिसर, न्यायालय हाजा को वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जैसलमेर (राज.)